



सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।

माननीय प्रबन्ध परिषद की 45वीं बैठक दिनांक 27 फरवरी, 2021 का कार्यवृत्त

माननीय प्रबन्ध परिषद की 45वीं बैठक दिनांक 27 फरवरी, 2021 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् थी:-

- | | |
|--|---------|
| 1. डा० आर०के० मित्तल, कुलपति | अध्यक्ष |
| 2. डा० महेश कौशिक, कृषि वैज्ञानिक | सदस्य |
| 3. श्री निखिल कुमार त्यागी, लाइव स्टॉक ब्रीडर | सदस्य |
| 4. डा० एस०के० मलिक, निदेशक, पशुपालन, उ०प्र०, लखनऊ। | सदस्य |
| 5. श्री ए०के० सिंह, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन,
मेरठ मण्डल, मेरठ (प्रमुख सचिव वित्त, उ०प्र० के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 6. डा० अमरनाथ मिश्र, संयुक्त निदेशक, कृषि,
मेरठ मण्डल, मेरठ।
(निदेशक कृषि, उ०प्र० के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 7. डा० शैलेन्द्र कुमार, उप-निदेशक, कृषि रक्षा,
मेरठ मण्डल, मेरठ।
(अपर मुख्य सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ०प्र० के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 8. डा० आर०के० गुप्ता, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
(प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उ०प्र० के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 9. श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा, वित्त नियंत्रक | सचिव |

मा० प्रबन्ध परिषद के अध्यक्ष एवं वित्त नियंत्रक द्वारा मा० सदस्यों का स्वागत किया गया।

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियंत्रक

स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

-1-

Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T., Meerut

प्रस्ताव संख्या 45.1 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 44वीं बैठक दिनांक 18 जनवरी, 2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

मा0 प्रबन्ध परिषद की 44वीं बैठक दिनांक 18 जनवरी, 2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 45.2 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 44वीं बैठक दिनांक 18 जनवरी, 2021 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।


मा0 प्रबन्ध परिषद की 44वीं बैठक दिनांक 18 जनवरी, 2021 के निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, जिस पर समस्त सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्यवाही: वित्त नियन्त्रक)


1. मा0 प्रबन्ध परिषद की 44वीं बैठक दिनांक 18.01.2021 के बिन्दु संख्या-44.3 के सम्बन्ध में लिए गये निर्णयों के क्रम में अवगत कराया गया कि विद्युत विभाग द्वारा परिसर में स्थापित किये जाने वाले टॉवर की चौड़ाई अधिक रखने के संदर्भ में विद्युत विभाग के उच्चाधिकारियों के समक्ष आपत्ति व्यक्त की गयी है एवं कहा गया है उपर्युक्त टॉवर के स्थान पर कम चौड़ाई का टॉवर पूर्व में स्थापित टॉवर की जगह में ही स्थापित किया जाये। इस पर समस्त मा0 सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए निर्णय लिया कि यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रकरण के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन को पत्र प्रेषित करने हेतु सुझाव दिया गया।

(कार्यवाही: वित्त नियन्त्रक/कुलसचिव/प्रभारी अधिकारी विद्युत)

2. साथ ही मा0 प्रबन्ध परिषद की 44वीं बैठक दिनांक 18.01.2021 के बिन्दु संख्या-44.7 के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के अन्तर्गत


लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

-2-


Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor
C.V.D.I.A. & T. Meerut

कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कार्यरत एस0एम0एस0 को प्रदान किए गये CAS के लाभ के संदर्भ में मा0 कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कार्यरत कार्मिकों हेतु सातवें वेतनमान के अन्तर्गत देय कुल एरियर के 50 प्रतिशत धनराशि की आई0सी0ए0आर0 द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। साथ ही कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कार्यरत उपर्युक्त एस0एम0एस0 के एरियर की धनराशि प्रदान करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।


(कार्यवाही: निदेशक प्रसार/कुलसचिव/निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण/
वित्त नियन्त्रक)


3. उपरोक्त के अतिरिक्त मा0 प्रबन्ध परिषद की 44वीं बैठक दिनांक 18.01.2021 श्री निखिल कुमार त्यागी, मा0 सदस्य द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुगरकेन की पैदावार के दृष्टिगत कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के अधीन College of Sugarcane की स्थापना के सम्बन्ध में भी सुझाव दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में मा0 सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि उपर्युक्त संस्थान के संचालन हेतु मा0 कुलपति जी के माध्यम से उ0प्र0 शासन से विभिन्न प्रकार के पदों की मांग किया जाना उचित होगा।

(कार्यवाही: कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या 45.3 : सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के शिक्षकों को सत्रांत लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।


सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के शिक्षकों को सत्रांत लाभ दिये जाने के



लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110


Dr. R. K. Mittal
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T., Meerut

सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में मा० कुलपति जी द्वारा विस्तृत रूप में मा० सदस्यों को अवगत कराया कि दिनांक 27. 03.2011 में प्रबन्ध मण्डल की बैठक के अनुसार शिक्षकों/वैज्ञानिकों को विश्वविद्यालय मुख्यालय, कृषि अनुसंधान केन्द्रों एवं कृषि ज्ञान केन्द्रों पर सत्रांत लाभ प्रदान किया जाता है जबकि वह शिक्षण कार्य में हो एवं विद्यार्थियों की कक्षायें ले रहे हो। कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कार्यरत वैज्ञानिकों को सत्रांत लाभ प्रदान नहीं किया जाता है। इसी क्रम में डा० अजय सेन चौधरी, प्राध्यापक, कृषि ज्ञान केन्द्र, बरेली को सत्रांत लाभ अनुमन्य न करने के कारण डा० चौधरी द्वारा मा० राज्यपाल महोदया के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसपर राजभवन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में डा० चौधरी को भी सत्रांत लाभ प्रदान किया गया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में मा० सदस्यों द्वारा सूचना चाही गयी कि डा० चौधरी द्वारा इस प्रकरण पर किसी प्रकार वाद मा० न्यायालय में यौजित तो नहीं किया गया है। जिस पर मा० कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय के कुलसचिव को मा० प्रबन्ध परिषद की बैठक में बुलाते हुए उनसे जानकारी चाही गयी। जिसके सम्बन्ध में कुलसचिव द्वारा मा० सदस्यों को अवगत कराया गया कि डा० चौधरी द्वारा मा० उच्च न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया गया है। जिसके उपरांत मा० सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय मुख्यालय, कृषि अनुसंधान केन्द्रों एवं कृषि ज्ञान केन्द्रों पर कार्यरत शिक्षकों को सत्रांत लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: कुलसचिव/निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण)


लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110


Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T., Meerut

प्रस्ताव संख्या-45.4: विद्वत परिषद की 78वीं बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ की विद्वत परिषद की 78वीं बैठक दिनांक 23.02.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।


इस सम्बन्ध में मा० कुलपति जी, वित्त नियन्त्रक एवं कुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय में दिनांक 09.03.2021 को आयोजित होने वाले ~~प्रमोदश~~ दीक्षांत समारोह में छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाने वाली डिग्रियों के सम्बन्ध में मा० सदस्यों को विस्तृत रूप में अवगत कराया गया।


(कार्यवाही: कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या: 45.5— वित्त समिति की 15वीं बैठक दिनांक 25.02.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ की वित्त समिति की 15वीं बैठक दिनांक 25 फरवरी, 2021 में लिए गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

साथ ही विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 15वीं बैठक दिनांक 25.02.2021 के बिन्दु संख्या-15.6 पर इंगित कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ को उ०प्र० शासन से प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के अनुदान, कन्टीजैन्सी, उपकार एवं आर०के०वी०वाई० परियोजनान्तर्गत निर्गत किए जाने वाले शासनादेशों के अन्तर्गत संदर्भित धनराशि का आहरण कोषागार से किया जाता है, जिसके अन्तर्गत उ०प्र० शासन के संदर्भित निर्गत होने वाले शासनादेशों में इंगित नियमों के संदर्भ में कोषागार से आहरित कराने में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत


लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110


Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor
C.V.D.I.A. & T. Meerut

मा0 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण पर उ0प्र0 शासन को विचार हेतु पत्र प्रेषित करने के लिये अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या: 45.6—

कैटेट परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों एवं छात्र/छात्राओं द्वारा शिक्षण सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की फीस जमा कराने हेतु आई0 सी0 आई0 सी0 आई0 बैंक में बचत खाता खोलने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्ष-2021 में प्रदेश स्तर पर आयोजित होने कैटेट परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ को प्राप्त हुई है। इस सम्बन्ध में कैटेट परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों एवं छात्र/छात्राओं द्वारा शिक्षण सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की फीस जमा कराने हेतु आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक में बचत खाता खोलने के सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक द्वारा पैमेंट गेटवे तैयार करते हुए ई0आर0पी0 सिस्टम भी विकसित किया जायेगा, जिससे कि छात्र/छात्राओं को फीस जमा कराने पर कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक द्वारा फीस इत्यादि जमा कराने पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जायेगा तथा विश्वविद्यालय स्तर पर भी उक्त सुविधा हेतु कोई फीस नहीं दी जायेगी। मा0 सदस्यों द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।




लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक

स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

(कार्यवाही: कुलसचिव/वित्त नियन्त्रक)

-6-


Dr. R.K. Mittal
Vice-Chancellor

उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त मा० सदस्यों द्वारा निम्नवत अभिमत व्यक्त किये गये:-

1. श्री निखिल कुमार त्यागी, मा० सदस्य द्वारा सी०एस०आर० के माध्यम से भिन्न-भिन्न प्रकार की सहायता प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रयास किये जाये। इस सम्बन्ध में मा० कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। इसी क्रम में न्यू हौलैंड ट्रैक्टर कम्पनी द्वारा विश्वविद्यालय को 01 ट्रैक्टर एवं 02 सहयोगी उपकरण उपहार स्वरूप भेंट किये गये हैं।
2. डा० महेश कौशिक, मा० सदस्य द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा बी०एस०सी० (होम साइंस) कोर्स के संचालन के प्रयास किये जाने के सम्बन्ध में सुझाव दिया गया। इस संदर्भ में मा० कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि इस पर एक पत्र प्रेषित किया जाये जिसपर उपर्युक्त कार्यवाही की जा सके।

अन्त में सचिव मा० प्रबन्ध परिषद द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

(लक्ष्मी मिश्रा)

वित्त नियंत्रक/सचिव, मा० प्रबन्ध परिषद

लक्ष्मी मिश्रा

वित्त नियंत्रक

स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

अनुमोदित



(डा० आर०के० मित्तल)

कुलपति/अध्यक्ष मा० प्रबन्ध परिषद
Dr. R.K. Mittal

Vice-Chancellor -7-

S.V.P.U.A.&T., Meerut